सं० ओ० वि०/रोहतक/37-87/12631.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी रोहतक आशोका थियेटर, प्रा० लि०, रोहतक, (2) आर० आर० इंटरप्राईजिज, लिसी मार्फत भारत ट्रैक्टरस, पुराना किला रोड़, रोहतक के श्रमिक श्री सुनील कुमार दुग्रा, बी-6, मकान नं० 212, प्रताप मुहल्ला, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम/78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवाद-ग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय, एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है:—

क्या श्री सुनील कुमार दुग्रा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/रोहतक/40-87/12639.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० मैकेनिकल मूवमेन्ट प्रा० लि०, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, बहादुरगढ़ (राहतक) के श्रमिक श्री दयानन्द, पुत्र श्री लाला राम, 1/299, इन्द्रा पार्क, अपो० रेलवे स्टेशन, बहादुरगढ़ रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1 श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री दयानन्द की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से लियन खोया है इस बिन्दु पर निर्णय के फल स्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ. वि./पानी/26-87/12648—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पचरंगा इन्टरनेशनल, पचरंगा बाजार, पानीपत के श्रमिक श्री जगदीश प्रसाद, पुत्र श्री ननक प्रसाद मार्फत इन्जीनियरिंग एण्ड टैक्सटाईल वर्करज यूनियन (रजि०), भगत सिंह स्मारक, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स. 3(44)84-3-श्रम, दिनाक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जगदीश प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

ओ. वि./पानीपत/24-87/12655—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० शाहकुम्भराह फिनिशिंग वर्कस दस राज कालोनी, पानीपत, के श्रमिक श्री निशाकान्त मार्फत टैक्सटाईल मजदूर संघ, जी. टी. रोड़, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनाक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री निशा कान्त की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर-हाजिर हो कर नौकरी से पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) खोया है, इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?